



HIGH COURT BAR ASSOCIATION, ALLAHABAD

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद



President

Hony. Secretary

Ashok Kumar Singh ☎ 9450595213

Nitin Sharma ☎ 9415317887

Senior Vice President :

Amit K. Srivastava 9415338555
(Amit Kumar)

Vice President :

Ashutosh Pandey 9415241621

Ashok Kumar Tripathi 9415375599

Ajay Kumar Mishra 7897679898
(Ajay Jai Hind)

Arvind Kumar Srivastava 9450623501

Swarn Lata Suman 9415645191

Joint Secretary Administration :

Sarvesh Kumar Dubey 9450581660

Joint Secretary Library :

Ajay Singh 9450624039

Joint Secretary Press :

Amrendu Singh 9415645810

Joint Secretary Women :

Anjana Chaturvedi 9450887030

Treasurer :

Ashish Kumar Mishra 9450869472
(Ashish Mishra)

Member of Governing Council :

Preeti Dwivedi 9506688040

Smt. Sarita Singh 7398978985

Abhyudaya Tripathi 9415481998

Vinod Rai 9453106947

Amit Kumar Pandey 7379009717

Om Prakash Vishwakarma 9455760660
(O.P. Vishwakarma)

Arvind Kumar Singh 9452680277

Arun Kumar Tripathi 8953534828

Ashutosh Mishra (Nagraha) 9335664712

Sudheer Kumar Kesarwani 9452982977
(S.K. Kesarwani)

Saima Saher 8565969437

Aniruddha Ojha 9415639121

Anil Kumar Mishra 9335931886

Gulab Singh Yadav 9506090562

Anil Pratap Singh 9140557585

Ref. No.

Dated : 24.05.2023

प्रकाशनार्थ

प्रयागराज। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आज दिनांक 24.05.2023 (बुधवार) को सायं 4.00 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाल में "स्वामी विवेकानन्द विधि व्याख्यान माला" के अन्तर्गत संविधान में वर्णित "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं आस्था की स्वतन्त्रता" विषय पर एक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय तथा संचालन संयुक्त सचिव लाइब्रेरी श्री अजय सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक मेहता जी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के आरम्भ में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह व महासचिव श्री नितिन शर्मा, उपाध्यक्ष सर्वश्री अशोक कुमार त्रिपाठी, आशुतोष पाण्डेय, संयुक्त सचिव प्रशासन श्री सर्वेश कुमार दुबे, संयुक्त सचिव प्रेस श्री अमरेन्दु सिंह एवं कोषाध्यक्ष श्री आशीष कुमार मिश्र सहित कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ, आम का पौधा व गंगाजल भेंटकर स्वागत व अभिनन्दन किया गया।

उक्त अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक मेहता जी द्वारा अधिवक्ता हितार्थ संयुक्त सचिव लाइब्रेरी श्री अजय सिंह को "भारत का संविधान" की मूल प्रति भेंट करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को सम्बोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य विषय संविधान में वर्णित "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं आस्था की स्वतन्त्रता" पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाल में उपस्थित प्रत्येक अधिवक्ता अपने आपको संविधान सभा का सदस्य मानते हुए मनन करें। हम अधिवक्ता भारतीय संविधान में उचित सुधार करने में सफल रहे। भारत के संविधान में हम भारत के भारतवासी आज के विषय वस्तु पर पॉचों शब्दों पर विचार करें तो यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि हमारे संविधान में सभी धर्मों का समावेश है और सभी विचारों को आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है।

न्याय व्यवस्था की भारतीयकरण कैसे हो, इस विषय पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पं० मदन मोहन मालवीय जी के समय में भारतीय न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, महाभारत एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तर्कों पर आधारित बहस माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाती थी जिसका वर्तमान में अभाव है। उन्होंने पाणिनी, बुद्ध, जैमिनी, कौटिल्य, सुराष्ट्र, पतांजलि आदि ऋषि मुनियों का नाम लेते हुए उनके द्वारा लिखे गये ग्रन्थों में बताये गये महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ पर भी बहस को आधारित करने की बात कही। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता के विषय में कहा कि कोई मेरी स्वतन्त्रता को छीन नहीं सकता। मैं प्रह्लाद हूँ, मैं तुलसी हूँ, मैं मीरा हूँ, मैं कबीर हूँ, मैं रैदास हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं रसखान हूँ, मैं हनुमान हूँ, यह मेरी स्वतन्त्रता है। असीम से अनन्त तक मानव से मानव का, पूजा का पूज्य से, सांस्कृतिक एवं सामाजिक रिश्ता, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात, सत्यम अप्रियम। इस संस्कृति की सूक्ति पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने न्यायालय के समक्ष इसके प्रयोग का समर्थन किया।

उन्होंने कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें कभी किसी की जमानत, न्यायालय के समक्ष झूठ बोलकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं और हमें अपनी बातें बिन्दुवार लिखकर न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो उसका कभी भी नकारात्मक परिणाम हमारे सामने नहीं आयेगा, ऐसी आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है।

कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के अवसर पर श्री अशोक कुमार त्रिपाठी ने कार्यक्रम में उपस्थित मा० मुख्य अतिथि सहित सभी अधिवक्ताओं का आभार व धन्यवाद प्रकट करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

उक्त अवसर पर सर्वश्री आशुतोष पाण्डेय, अशोक कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार मिश्र (अजय जय हिन्द), अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, स्वर्ण लता सुमन (उपाध्यक्षगण), सर्वेश कुमार दुबे (संयुक्त सचिव, प्रशासन), अजय सिंह (संयुक्त सचिव लाइब्रेरी), अमरेन्दु सिंह, (संयुक्त सचिव प्रेस), अंजना चतुर्वेदी (संयुक्त सचिव, महिला), आशीष कुमार मिश्र (कोषाध्यक्ष), प्रीति द्विवेदी, श्रीमती सरिता सिंह, अभ्युदय त्रिपाठी, विनोद राय, अमित कुमार पाण्डेय, ओम प्रकाश विश्वकर्मा (ओ.पी. विश्वकर्मा), अरविन्द कुमार सिंह, अरुण कुमार त्रिपाठी, आशुतोष मिश्र (नगरहा), सुधीर कुमार केसरवानी (एस०के० केसरवानी), साइमा सहेर, अनिरुद्ध ओझा, अनिल कुमार मिश्र, गुलाब सिंह यादव एवं अनिल प्रताप सिंह (कार्यकारिणी सदस्यगण) सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

Amrendu Singh
(अमरेन्दु सिंह)
संयुक्त सचिव प्रेस

Amrendu Singh

Joint Secretary (Press)

Website : www.hcbaallahabad2018in | Email : highcourtbarallahabad@gmail.com

Phone/Fax : 0532-2420404

Allahabad